

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-2331/37-1-2020-2(25)/2018
लखनऊ: दिनांक 09 दिसम्बर, 2020
कार्यालय-आदेश

पशुचिकित्सा सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) के प्रकरणों पर विचार हेतु गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार निम्न अधिकारियों का 26 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-772/दस-62(एम)/2018, दिनांक 05.11.2014 के अधीन उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन के रूप में वेतन बैंड-4 रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700/- स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	ज्ये० क्र०	विभाग में नियुक्ति/ योगदान की तिथि	8 वर्ष की सेवा पर प्राप्त समयमान वेतनमान की तिथि	द्वितीय ए0सी0पी0 स्वीकृति की तिथि	तृतीय ए0सी0पी0 की अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5	6	7
1.	डा० रवीन्द्र नाथ	508	12.01.1990	12.01.1998	01.12.2008	12.01.2016
2.	डा० प्रभात कुमार सिंह	787	03.12.1990	03.12.1998	01.12.2008	03.12.2016
3.	डा० मुन्ना लाल यादव	795	05.07.1989	02.06.1998	01.12.2008	05.07.2015
4.	डा० राजेन्द्र प्रसाद	860	07.12.1990	07.12.1998	01.12.2008	07.12.2016
5.	डा० सुरेश चन्द्र वर्मा	981	11.06.1989	09.06.1997	01.12.2008	11.06.2015

2- कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 05.11.2014 के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

मंजू लता
विशेष सचिव।

संख्या-2331(1)/37-1-2020तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 को इस आशय से प्रेषित कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त संस्तुत अधिकारियों को ए0सी0पी0 अनुमन्य कराने का कष्ट करें।
- 5- समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि अपने नियंत्रणाधीन समस्त संस्तुत अधिकारियों को ए0सी0पी0 अनुमन्य कराने का कष्ट करें।

- 6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा० प्रहलाद बरनवाल)
उप सचिव।
